रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)—१३

REGISTERED NO. D. (D. N.)—13

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 5, 1986/आषाढ़ 14, 1908

No. 26] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 5, 1986/ASADHA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 1986

का०नि० आ० 226.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उप धारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 19 की उप धारा (3) का अनुसरण करते हुए वार्ड सं. 1 से श्रीमती ललिता मूर्ति द्वारा त्याग-पत्र देने के कारण छावनी बोर्ड, रुड़की में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है।

[एफ सं० 29/54/रुड़की/सी०/भू० व छा०/85/2229-ए./रक्षा (क्यू एंड सी.)]

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 16th June, 1986

S.R.O. 226.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonment Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board, Roorkee, by reason of the resignation by Mrs. Lalita Murthy from Ward No. I in pursuance of sub-section (3) of Section 19 of the Act.

[F. No. 29|54|Roorkee|C|L&C|85|2229-A|D(Q&C)]

नई दिल्ली, 13 जून 1986

का. नि. आ० 227.—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा (7) का अनुसरण करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित व्यक्ति, उनके सामने दर्शित वार्डों से छावनी बोर्ड, रुड़की के सदस्य निर्वाचित हुए हैं।

1. श्रीमती ललिता मूर्ति —वार्ड नं. 1
2. श्री ओम प्रकाश —वार्ड नं. 2
3. श्री अमृत पाल —वार्ड नं. 3
4. श्री बंसी लाल —वार्ड नं. 4
5. श्रीमती ललिता मूर्ति —वार्ड नं. 5

[फाइल संख्या-29/54/रुड़की/सी./भू. व छा./85/2229/डी (क्यू. एंड सी)]

करतार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 1986

S.R.O. 227.—In pursuance of sub-section (7) of section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) the Central Government hereby notifies the election of the following persons to the Cantonment Board, Roorkee from the wards noted against each :—

1. Mrs. Lalita Murthy —Ward No. I.
2. Shri Om Parkash —Ward No. II.
3. Shri Amrit Pal —Ward No. III.
4. Shri Bansi Lal —Ward No. IV.
5. Mrs. Lalita Murthy —Ward No. V.

[F. No. 29|54|Rookee|C|L&C|85|2229|D(Q&C)]

KARTAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 जून, 1986

का. नि. आ. 228.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रक्षा अनुसंधान और

Attested

Asstt. Controller (Business)
Govt. of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

विकास सेवा नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :

1. (i) इन नियमों का नाम रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1986 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम, 1979 के नियम 12 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:

"12" सेवा निवृत्ति फायदे (1) सेवा के सभी सदस्य केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगे।

परन्तु यह कि सेवा के वे सदस्य जो रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1986 के प्रारम्भ होने की तारीख से पहले अंशदायी भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम द्वारा शासित थे तब तक अंशदायी भविष्य निधि (रक्षा सेवा) नियम द्वारा शासित रहेंगे जब तक कि व रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा (संशोधन) नियम, 1986 के प्रारम्भ होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 द्वारा शासित होने का निश्चय नहीं करते।

(2) सेवा में वैज्ञानिक "ग" के या उससे ऊपर के पदों पर नियुक्त अधिकारी केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1972 के नियम 30 के अधीन अधिवार्षिता के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञेय सेवा के लिए जोड़े गए फायदों के हकदार होंगे और रक्षा विज्ञान सेवा में सदृश पदों पर नियुक्त किए गए अधिकारियों को भी जिन्हें रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा के काडर में लिया गया है यह फायदा अनुज्ञेय होगा।

[10358/2/आर० डी०/कार्मिक-1/2199/डी (आर० एंड डी०)]

दुर्गा दास, अवर सचिव

टिप्पण: रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा नियम भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 4 में का० नि० आ० 8 तारीख 30 दिसम्बर, 1978 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और का० नि० आ० 307, तारीख 10 अक्तूबर, 1980 का० नि० आ० 196 तारीख 2 अगस्त, 1982, का० नि० आ० 159 तारीख 5 मई, 1983 का० नि० आ० 176 तारीख 7 अगस्त, 1984 का० नि० आ० 2298, तारीख 13 नवम्बर, 1984, का० नि० आ० 170 तारीख 12 जुलाई, 1985 और का. नि० आ. 186 तारीख 2 अगस्त, 1985 द्वारा संशोधन किया गया।

New Delhi, the 6th June, 1986

ORDER

S.R.O. 228.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Defence Research and Development Service Rules, 1979, namely :—

1. (1) These rules may be called the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules 1986.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. For rule 12 of the Defence Research and Development Service Rules, 1979, the following shall be substituted namely :—

"12. Retirement benefits.—(1) All members of the service shall be governed by the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 :

Provided that those members of the service who were governed by the Contributory Provident Fund (Defence Services) Rules, before the date of commencement of the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1986 shall continue to be governed by the Contributory Provident Fund (Defence Services) Rules, unless they opt to be governed by Central Civil Services (Pension) Rules, 1972, within a period of six months, which shall be reckoned on and from the date of commencement of the Defence Research and Development Service (Amendment) Rules, 1986.

(2) Officers appointed to the posts of Scientist 'C' and above in the service shall be entitled to the benefits of added years of service for purpose of superannuation pension admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and this benefit shall also be admissible to officers who were appointed to comparable posts in the Defence Science Service and have been encadred in the Defence Research and Development Services."

[10358/2/RD/Pers-1/2199/D. (R&D)]

DURGA DASS, Under Secy.

NOTE.—The Defence Research and Development Service Rules published in the Gazette of India Part II, Section 4, vide S.R.O. 8 dated the 30th December 1978 and have been amended vide S.R.O. 307 dated the 10th October 1980, S.R.O. 196 dated the 2nd August 1982, S.R.O. 159 dated the 5th May 1983, S.R.O. 176 dated the 7th August 1984 S.R.O. 228 dated the 13th November 1984, S.R.O. 170 dated the 12th July 1985 and S.R.O. 186 dated the 2nd August, 1985.

Attested

[signature]

Asstt Controller (Business)
Govt of India
Department of Publication
Civil Lines. Delhi-54

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986